दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति बर्खास्त

- संवैधानिक अदालत का फैसला
- लोकतंत्र और कानून की भावना को गंभीर रूप से कमजोर करने का आरोप
- आदेश के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रपति के दो समर्थक मारे गए

सोल, 10 मार्च (एपी)।

दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक और सर्वसम्मति से किए गए निर्णय के तहत राष्ट्रपति पार्क ग्यू हे को उनके पद से बर्खास्त कर दिया।

अदालत के आदेश के बाद पार्क के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और इन प्रदर्शनों में दो लोग मारे गए। समर्थकों और विरोधियों ने भी सुनवाई देखी क्योंकि इसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया था। आठ सदस्यीय पैनल के आदेश के बाद पार्क के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। अभियोजकों ने पहले ही उन्हें संदिग्ध अपराधी कहा है। इसके साथ ही पार्क लोकतंत्र बहाल होने और लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के बाद हटाई गईं पहली नेता बन गई हैं।

संवैधानिक अदालत के मुख्य न्यायाधीश ली जुंग मी ने कहा कि पार्क के कृत्य ने लोकतंत्र और कानून की भावना को गंभीर रूप से कमजोर किया है, उन्हें बर्खास्त किया जाता है। दिसंबर में संसद ने रिश्वत और शक्ति के दुरुपयोग सहित कई आरोपों में पार्क पर महाभियोग चलाने को मंजूरी दी थी और दक्षिण कोरिया के कानून के अधीन आने वाली संवैधानिक अदालत ने उसे अपने इस फैसले में बरकरार रखा।

ब्लू हाउस के अनुसार पार्क अभी राष्ट्रपति आवास ब्लू हाउस खाली नहीं करेंगी क्योंकि उनके सहयोगी सोल स्थित उनके निजी आवास लौटने की तैयारी कर रहे हैं।

पार्क की बयान जारी करने की कोई योजना नहीं है। पार्क के अधिवक्ता जिन्होंने पहले पार्क के खिलाफ महाभियोग की तुलना ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाने से की थी, ने अदालत के इस आदेश को दबाव में लिया गया निर्णय बताया और इसे 'दुखद निर्णय' करार दिया।

अदालत के आदेश के बाद बर्खास्त राष्ट्रपति पार्क ग्यू हे के समर्थक विरोध प्रदर्शन करते हुए।

पाक सेना प्रमुख को आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ होने की जरूरत : अमेरिका

वाशिंगटन, 10 मार्च (भाषा)।

अमेरिकी सेना के एक शीर्ष जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वह तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उन्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और अधिक दृढ़ संकल्प होने की जरूरत है।

अमेरिकी मध्य कमान के कमांडर जनरल जोसेफ वोटेल ने सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों से कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने में उनके पूर्ववर्ती उत्सुकता नहीं दिखाते थे। जनरल वोटेल ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने हाल ही में अफगानिस्तान में अमेरिकी और नाटो सेना के कमांडर जनरल जॉन निकोल्सन का समर्थन किया था। उन्होंने इस कार्य को सही दिशा में उठाया गया एक कदम बताया।

जनरल वोटेल ने कहा कि लेकिन जरूरत इस बात की है कि वह और अधिक दृढ़ संकल्प हों और उस विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। वोटेल ने सीनेटर टॉम कॉटन के एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बहुत अच्छा संबंध है। उन देशों के बीच सीमा पर निश्चित रूप से कुछ तनाव है और इसलिए मुझे लगता है कि हम उनके बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कॉटन ने सवाल किया था कि वर्षों से अमेरिका, पाकिस्तान में तालिबान और अन्य आतंकवादी समूह के ठिकानों की मौजूदगी पर चिंता जाहिर करता रहा है। जैसा कि आप इस गतिरोध को तोड़ने की रणनीति के बारे में सोचते हैं, आप इस लंबे समय की समस्या के समाधान के लिए किस तरह से योजना बनाएंगे? जनरल वोटेल ने कहा कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान, अमेरिका का एक प्रमुख भागीदार रहा है। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, जो हमारे लिए मददगार साबित हुए हैं।

अमेरिकी सांसद ने पाक को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने की मांग की

वाशिंगटन, 10 मार्च (भाषा)।

अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को पुनः परिभाषित करने की मांग करते हुए कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें अमेरिकी सरकार से पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने की मांग की गई है। सदन की आतंकवाद संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष टेड पो ने निचले सदन में गुरुवार को पाकिस्तान स्टेट स्पांसर ऑफ टेररिज्म एक्ट (एचआर 1449)पेश किया।

विधेयक पेश करते हुए पो ने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ एक गैर-भरोसेमंद सहयोगी है, बल्कि इस्लामाबाद ने वर्षों तक अमेरिका के कट्टर शत्रु की सहायता भी की।

उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को आश्रय देने से लेकर हक्कानी नेटवर्क के साथ उसके नजदीकी रिश्तों तक, इस बात के पर्याप्त से भी अधिक प्रमाण हैं कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान किसके साथ है। सांसद ने कहा कि यही वक्त है, जब हमें पाकिस्तान को उसकी धोखाधड़ी के लिए सहायता देना बंद करना चाहिए और उसे वह नाम देना चाहिए जो वह है (आतंकवाद का प्रायोजक देश)। विधेयक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 90 दिन के भीतर एक रिपोर्ट जारी कर यह बताने के लिए कहा गया है कि क्या पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में सहयोग दिया है।

,,इसके 30 दिन के बाद विदेश मंत्री से इस संकल्प वाली फॉलो अप रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि पाकिस्तान 'आतंकवाद का प्रायोजक देश' है या फिर विस्तार से यह बताने के लिए कहा गया है कि उसे यह तमगा नहीं दिया जाना, कौन-से कानूनी मापदंड के अनुरूप है। इसके अलावा द नेशनल इंटरेस्ट मैग्जीन में पो ने जेम्स क्लाड के साथ संयुक्त रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को पुनः परिभाषित करने की मांग की।

एसआरएफ लिमिटेड

SRF

CIN: L18101DL1970PLC005197

पंजी. कार्यालयः सी-8, कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली- 110016, टेली.: +91-124-4354400, फैक्सः +11-11-4354500,

ई-मेलः info@srf.com , वेबसाईटः www.srf.com

सूचना-निवेशक शिक्षा एवं सरंक्षण कोष में शेयरों का अंतरण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (''आईईपीएफ नियमावली'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी शेयरों को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा सरंक्षण कोष (''आईईपीएफ'') के पक्ष में अंतरित किया जाएगा जिसके मामले में लगातार पिछले सात या अधिक वर्षों से लामांश का दावा नहीं किया गया है।

आईईपीएफ नियमावली के अनुपालन में कंपनी ने ऐसे संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी है जिनके शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा। आईईपीएफ में अंतरण के लिए नियत शेयरों के विवरणों को कंपनी द्वारा ''Investor'' खंड के अंतर्गत उसकी वेबसाईट www.srf.com पर अपलोड कर दिया गया है।

कंपनी द्वारा आईईपीएफ नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भौतिक अथवा डीमैट पद्धत्ति में धारित ऐसे शेयरों जिनके मामले में पिछले सात या अधिक वर्षों से लाभांश दावा-रहित/अप्रदत्त रहा है, को नियत तिथि अर्थात् 31.5.2017 तक आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाता में अंतरित किया जाएगा। भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले ऐसे शेयर धारकों जिनके शेयरों को अंतरित किया जाएगा, यह ध्यान रखें कि नियमावली के अनुसार कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाता में शेयरों के अंतरण के लिए उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के बदले में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) जारी करेगी तथा शेयर जारी करने के उपरांत उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा उसे अविचारणीय माना जाएगा। शेयर धारक यह भी ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कंपनी द्वारा अपलोड किए गए विवरणों को नियमावली के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाता में शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) को जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

शेयरधारक यह ध्यान रखें कि ऐसे शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों, यदि कोई हो, सहित दावा रहित लाभांश तथा आईईपीएफ प्राधिकरण की खाता में अंतरित किए जाने वाले शेयरों दोनों का उनके द्वारा आईईपीएफ नियमावली द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है।

इस विषय तथा नियमावली पर किसी दावे अथवा पूछताछ के लिए शेयरधारक मै. कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाछीबावली, फाइनांसियल डिक्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद- 500032, टेली.नं. +91-40-6716222, फैक्स नं.: +91-402300 1153, टोल फ्री नं. 1800-4258-998, ईमेलः einward.ris@karvy.com पर कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट्स से अथवा सचिवालयी विभाग, एसआरएफ लिमिटेड, ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुड़गांव-122003, हरियाणा, फोन नं. +91-124-4354400, फैक्स नं.: +91-124-4354500, ईमेलः info.@srf.com से संपर्क कर सकते हैं।

एसआरएफ लिमिटेड के लिए
हस्ता./-

स्थानः गुड़गांव
तिथिः 9 मार्च, 2017

अनूप के जोशी
अध्यक्ष, सीएफओ एवं कंपनी सचिव

शीर्ष पद के लिए संसद की मुहर लगने के करीब सीमा वर्मा

वाशिंगटन, 10 मार्च (भाषा)।

भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज के प्रमुख के तौर पर अपने नाम की पुष्टि होने के करीब पहुंच गई हैं। अमेरिकी सीनेट ने उन्हें 44 के मुकाबले 54 वोट मिले हैं। सीमा वर्मा के नामांकन पर अंतिम पुष्टि करने के लिए 13 मार्च को अंतिम मतदान कराया जाएगा। इससे पहले वाइट हाउस ने आरोप लगाया था कि विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसद शीर्ष हेल्थ केयर पद के लिए वर्मा के नामांकन को रोक रहे हैं। वाइट के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा कि वह विशिष्ट योग्यता के साथ बेशक इस पद के योग्य हैं और खासतौर से तब जब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार राष्ट्रपति के एजंडे में शीर्ष पर है। यह समय उन्हें इस पद पर लाने का है। इस महत्त्वपूर्ण समय में सीनेट डेमोक्रेट्स द्वारा इसमें देरी करना अस्वीकार्य है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की परामर्श कंपनी एसवीसी इंक की अध्यक्ष, सीईओ और संस्थापक वर्मा ने 20 वर्षों तक हेल्थकेयर नीति में काम किया है। उन्होंने इंडियाना, आयोवा, ओहियो और केंटुकी समेत कई राज्यों में मेडिकेड कार्यक्रमों की रूपरेखा नए सिरे से तैयार की। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष सांसदों ने उनके नामांकन का विरोध किया। कैलिफोर्निया से सांसद डायने फीनस्टीन ने आरोप लगाया कि वर्मा ने अपनी पुष्टि की सुनवाई में परेशान करने वाले बयान दिए। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि बीमा कंपनियों को मातृत्व देखभाल के लिए बीमा नहीं देना चाहिए।

अगर वर्मा के नाम की पुष्टि होती है तो सीनेट से पुष्टि पाने वाली वह दूसरी भारतीय-अमेरिकी होंगी। इससे पहले निकी हेली के नाम की सीनेट से पुष्टि हुई थी जो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत हैं।

शिवालिक मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालयः प्रथम तल, हकीकत नगर सहारनपुर (उ.प्र.) टेलीः 0120-2555333, 8130991513, 9871426266

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) के अंतर्गत बैंक के पास बंधक अचल संपत्ति की बिक्री की सूचना

यतः (Whereas) अधोहस्ताक्षरकर्ता नें शिवालिक बैंक प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत एवं धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक मांग पत्र निर्गमित किया जिसमें ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं से उनके नाम के आगे संदर्भित ऋण खाते रकम का पुर्नभुगतान करने हेतु इस नोटिस की दिनांक से 60 दिनों के भीतर, करने के लिए कहा गया था।

यतः ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के द्वारा राशि के पुर्न भुगतान करने में असफल हो जाने पर निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन् नीचे वर्णित सम्पत्तियों (यहां इसे आगे उक्त संपत्तियों के नाम से संबोधित किया गया) का उक्त संपत्तियों के आगे दी गई दिनांक को कब्जे में लिया है।

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष रुप से एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति बाबत कोई संव्यवहार नहीं करे और इस सम्पत्ति के बाबत किया गया कोई भी संव्यवहार शिवालिक बैंक की प्रत्येक खाते में वर्णित राशि तथा उसपर ब्याज के अधीन होगा।

प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक के बकायों की वसूली हेतु मुहरबन्द निविदा आमंत्रण के द्वारा निम्न वर्णित संपत्तियों को जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है के आधार पर बेचने का निर्णय लिया है

क्र. सं.	शाखा	ऋणी/जमानतदार का नाम	13(2) के अंतर्गत नोटिस की दिनांक	कब्जे की दिनांक	संपत्ति का विवरण/ संपत्ति के स्वामी	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य	आरक्षित मूल्य का 25% धरोहर राशि
1	श्री राम पैलेस भोजा मार्केट, विनायक हॉस्पिटल के पास, सेक्टर-27, नोएडा-201301 (उप्र)	1. मैसर्स गोल्डन फूड्स (ऋणी) (प्रोपराईटर- श्री उमेश कुमार गर्ग) 2. अजय कुमार जैन पुत्र श्री के.सी. कुमार (जमानतदार)	24.09.2013	29.11.2013	1. श्री अजय कुमार (जमानतदार) पुत्र के.सी. कुमार के नाम से रिहायशी संपत्ति भूतल एवं प्रथम तल प्लॉट नं. एसके III/505, क्षेत्रफल 71.37 वर्गमीटर शक्ति खण्ड-3, इन्द्रापुरम गाजियाबाद (उप्र) में स्थित। 2. श्री उमेश कुमार गर्ग (ऋणी) पुत्र श्री बुद्ध राम गर्ग के नाम से रिहायशी संपत्ति द्वितीय तल प्लॉट नं. एसके III/505, क्षेत्रफल 71.37 वर्गमीटर शक्ति खण्ड-3, इन्द्रापुरम गाजियाबाद (उप्र) में स्थित।	रू. 1,78,44,173/- दिनांक 02.09.2013 को उसके पश्चात आगे के ब्याज, लागतों एवं अन्य खर्चों इत्यादि के साथ।	54.00 लाख 27.90 लाख	13.50 लाख 6.98 लाख
2	इन्द्रापुरम शाखा राइजन शॉपिंग कॉम्पलैक्स, प्लॉट नं. 3 अंहिसाखण्ड-II, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश)	1. श्री सुनील सिंह पुत्र श्री नकली सिंह श्रीमती दुर्गेश देवी पत्नी श्री सुनील कुमार (ऋणी) तथा संदीप कुमार पुत्र श्री रामनरेश (जमानतदार)	11.05.2016	01.08.2016	श्री सुनील सिंह (ऋणी) के नाम से साम्यिक बंधक फ्लैट नं. एसएफ -4 (प्रथम तल), प्लॉट नं. ए-1/76, डीएलएफ दिशाद एक्सटेंशन द्वितीय ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, गाजियाबाद, (उत्तरप्रदेश) क्षेत्रफल 55.73 वर्गमीटर सीमाए :- उत्तर में - प्लॉट नं. ए-1/53, दक्षिण मे - रोड, पूर्व में : प्लॉट नं. ए-1/77, पश्चिम में : प्लॉट नं. - ए-01/75	रू. 22,96,413.89 दिनांक 10.05.2016 को उसके पश्चात आगे के ब्याज, लागतों एवं अन्य खर्चों इत्यादि के साथ।	19.00 लाख	4.75 लाख

प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम दिनांकः 27.03.2017 को सांय 05:00 बजे तक शिवालिक बैंक, श्री राम पैलेस, भोजा मार्केट, विनायक हॉस्पिटल के पास, सेक्टर-27, नोएडा-201301 (उ.प्र.) दिये गए संदर्भित खातो/संपत्तियों के उपरोक्त क्रम सं. 1 तथा शिवालिक बैंक, इन्द्रापुरम राइजन शॉपिंग कॉम्पलैक्स, प्लॉट नं. 3 अंहिसाखण्ड-II, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद उत्तरप्रदेश में दिये गए संदर्भित खातों/संपत्तियों के उपरोक्त क्रम सं. 2 हेतु।

निविदाएं खोलने का स्थान एवं समय : 28.03.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक शिवालिक बैंक, श्री राम पैलेस, भोजा मार्केट, विनायक हॉस्पिटल के पास, सेक्टर-27, नोएडा-201301 (उ.प्र.) दिये गए संदर्भित खातो/संपत्तियों के उपरोक्त क्रम सं. 1 तथा शिवालिक बैंक, इन्द्रापुरम राइजन शॉपिंग कॉम्पलैक्स, प्लॉट नं. 3 अंहिसाखण्ड-II, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद उत्तरप्रदेश में दिये गए संदर्भित खातों/संपत्तियों के उपरोक्त क्रम सं. 2 हेतु।

नियम व शर्तेः-

1. इच्छुक पक्ष अपनी बोलियां/निविदाएं उक्त संपत्तियों को खरीदने हेतु मुहरबन्द लिफाफे में उपलिखित संपत्तियों हेतु प्रस्ताव खाता .... संपत्ति के आरक्षित मूल्य की 25% धरोहर राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राधिकृत अधिकारी शिवालिक बैंक के पक्ष में नोएडा पर देय के साथ जमा करा सकते है। यदि निविदा सफल नही होती है तो वह वापस लौटाने योग्य होगा।
2. सफलतम निविदाकर्ता/बोलीदाता उसी दिनांक को तुरन्त विक्रय मूल्य का 10% राशि के बराबर (जो कि उपरोक्त धरोहर राशि के अलावा) के बैंकर चैक /डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राधिकृत अधिकारी शिवालिक बैंक के पक्ष में भुगतान करेगा तथा जमा करने में चूक होने पर संपत्ति का पुनः बैचान कर दिया जाएगा।
3. क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को क्रय मूल्य की शेष राशि का भुगतान अचल संपत्तियों की विक्रय पुष्टि होने के 15वें दिवस या उससे पूर्व अथवा पक्षों के बीच हुई सहमति से बडी हई समयावधि के भीतर जमा कराना होगा।
4. उपरोक्त पैरा नं. 3 की शर्तों के अनुसार समय सीमा में भुगतान होने में चूक होने पर जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा संपत्ति का पुनः बेचान कर दिया जाएगा तथा चूककर्ता क्रेता के संपत्ति या उसके किसी भाग से संबंधित समस्त दावे जब्त कर लिये जाएंगे तथा उनका बेचान किया जा सकता है।
5. सफलतम निविदाकर्ता खर्चे/विक्रय प्रमाण पत्र के पंजीकरण हेतु देय शुल्य यथा मुद्रण शुल्क, पंजीकरण शुल्क इत्यादि जो विधि द्वारा लागु किये जाते है वहन करेगा।
6. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी शुल्क , रेहन, प्रभारों, संपत्ति कर या सरकार अथवा अन्य किसी व्यक्ति के बेची जाने वाली संपत्ति के संदर्भ में कोई भी बकाया हेतु उत्तरदायी नही होगा।
7. प्राधिकृत अधिकारी को निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त या स्थगित करने, आगे बढ़ाने/बिना कोई कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. पारस्पिरिक बोली लगाने की आज्ञा नही दी जाएगी।
9. विक्रय न्यायालय/ऋण वसूली अधिकरण इस मामले में यदि कोई है तो के आदेशानुसार होगा।
10. विक्रय बैंक/प्रतिभूत लेनदार के पुष्टिकरण पर निर्भर होगा।
11. संपत्ति के निरीक्षण हेतु इच्छुक निविदाकर्ता/बोलीदाता शिवालिक बैंक के संबंधित शाखा प्रबंधक से कार्यालय घण्टों के दौरान संपर्क संख्या 8130991513 / 0120-2555333 / 9871426266 से संपर्क कर सकते है।

(प्राधिकृत अधिकारी)

दिनांक : 11.03.2017 स्थानः नोएडा (उ.प्र.)

शिवालिक मर्केनटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

स्विट्जरलैंड के कैफे में गोलीबारी, दो की मौत

हमला करने के बाद रेलवे स्टेशन की ओर भागे हमलावरों की खोज जारी

जेनेवा, 10 मार्च (एएफपी)।

उत्तर-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के बासेल स्थित एक कैफे में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने हमले के संभावित कारणों पर जानकारी दिए बिना एक बयान में कहा कि स्थानीय समयानुसार रात लगभग आठ बज कर 15 मिनट पर दो लोग कैफे 56 पहुंचे और गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि दो ग्राहकों की मौत हो गई। वहीं, एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार हमला करने के बाद रेलवे स्टेशन की ओर भागे हमलावरों की खोज जारी है। बासेल के अभियोजक कार्यालय ने एक बयान में कहा कि हमले के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और तफ्तीश जारी है। कैफे के पास की सड़क को बंद कर यातायात का मार्ग बदल दिया गया है। स्विट्जरलैंड में गोलीबारी की घटनाएं दुर्लभ हैं। लेकिन यहां सैन्य सेवा दे चुके व्यक्तियों को घर पर हथियार रखने की अनुमति होती है। यह अधिकार विवादास्पद रहा है, क्योंकि कई बार लोग घरेलू घटनाओं में हथियारों का इस्तेमाल कर बैठते हैं। स्विट्जरलैंड प्रेस के अनुसार 80 लाख की आबादी वाले इस देश में घरों में रखे जाने वाले हथियारों की संख्या करीब 20 लाख है।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओ.बी.सी

(भारत सरकार का उपक्रम)

Resolution Recovery & Law, कलस्टर ऑफिसः 8/1, अब्दुल अजीज रोड़, डब्लू ई ए, करोल बाग, नई दिल्ली-05, फोन : 40045717, 40045742, ई-मेल : rrl_7620@obc.co.in

शुद्धि-पत्र

दिनांक 24.02.2017 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी बिक्री सूचना में क्र.सं. 16, 17 एवं 18 की शाखा का नाम क्रमशः ओवरसीज़ शाखा नरेला, दिल्ली, ओवरसीज़ शाखा सैक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली और ओवरसीज़ शाखा सैक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली के स्थान पर **शाखा नरेला, दिल्ली, शाखा : चाँदनी चौक दिल्ली और शाखा : वजीरपुर, दिल्ली पढ़ा जाए।**

ई-नीलामी के शेष नियम व शर्ते पहले के अनुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओ.बी.सी

(भारत सरकार का उपक्रम)

Resolution Recovery & Law, कलस्टर ऑफिसः 8/1, अब्दुल अजीज रोड़, डब्लू ई ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005, फोन : 40045748, 40045742

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की अधिसूचना 3) के तहत **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कर्जदार मैसर्स असीम ग्लोबल लिमिटेड, 5476, बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006, श्री तनुज रस्तोगी, 33, भूतल, एन.आर.आई कॉम्पलैक्स, मंदाकिनी हॉउसिंग स्कीम, दिल्ली, श्रीमती ईरा रस्तोगी, फ्लैट नं. 15, प्रथम तल, एन.आर.आई कॉम्पलैक्स, मंदाकिनी हॉउसिंग स्कीम, दिल्ली, मैसर्स साईबर डॉट कॉम प्रा. लि. 2195 बगीची, रघुनाथ, सदर बाजार, दिल्ली-110006 को मांग नोटिस दिनांक 12.07.2016 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 34,55,41,838.51 (रु. चौतीस करोड़ पच्चपन लाख इक्तालीस हजार आठ सौ अड़तीस और पैसे इक्यावन मात्र) दिनांक 11.07.2016 तक,** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का **कब्जा दिनांकों** को ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, को देय बकाया राशि रू. 34,55,41,838.51 (रु. चौतीस करोड़ पच्चपन लाख इक्तालीस हजार आठ सौ अड़तीस और पैसे इक्यावन मात्र) दिनांक 11.07.2016 तक और उपार्जित ब्याज और लागत सहित** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कब्जा सूचना की तारीख
सम्पत्ति नं. 2269-70, बगीची रघुनाथ, सदर बाजार, दिल्ली, क्षेत्रफल 116.20 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती ईरा रस्तोगी के नाम पर है।	04-03-2017
सम्पत्ति नं. 1943, बगीची रघुनाथ, सदर बाजार, दिल्ली, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री तनुज रस्तोगी के नाम पर है।	04-03-2017
पार्ट 2658, 4/6, द्वितीय तल, तोला राम बिल्डिंग, सदर थाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती ईरा रस्तोगी के नाम पर है।	04-03-2017
पार्ट 2658, 4/6, तीसरा तल, तोला राम बिल्डिंग, सदर थाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती ईरा रस्तोगी के नाम पर है।	04-03-2017
व्यवसायिक भूतल, ½ 5459 से 5460, 5472 से 5475, और 5476 का ½ साउथ बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली, क्षेत्रफल 130 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती ईरा रस्तोगी के नाम पर है।	04-03-2017
व्यवसायिक/रिहायशी प्रथम भूतल, 5459 से 5460, 5472 से 5475, और 5476, साउथ बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली, क्षेत्रफल 244.44 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती ईरा रस्तोगी के नाम पर है।	04-03-2017
व्यवसायिक/रिहायशी द्वितीय तल, ½ 5459 से 5460, 5472 से 5475, और 5476 का ½ साउथ बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली, क्षेत्रफल 244.44 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती ईरा रस्तोगी के नाम पर है।	04-03-2017
प्लॉट नं. बी-290(ए), रीको (RIICO) औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सैन्टर फेस- I, आबू रोड, जिला सिरोही, राजस्थान, क्षेत्रफल 3403 वर्ग गज., यह सम्पत्ति मैसर्स असीम ग्लोबल लिमिटेड के नाम पर है।	06-03-2017
रिहायशी मकान नं. 15, प्रथम तल, मंदाकिनी हॉउसिंग स्कीम, एन आर आई कॉम्पलैक्स, ग्रेटर कैलाश पार्ट-IV, दिल्ली-110048, क्षेत्रफल 260.10 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती ईरा रस्तोगी के नाम पर है।	10-03-2017
रिहायशी अपार्टमेंट नं. 805ए, ब्रेवली पार्क- I, टाईप स्टरलिंग पाचवां तल, डीएलएफ सिटी, गाँव सरहॉल, फेस- II, गुड़गाँव, हरियाणा, क्षेत्रफल 2519 वर्ग फीट, साथ में पार्किंग स्पेस नं. 2104, यह सम्पत्ति मैसर्स साईबर डॉट कॉम प्रा. लि. के नाम पर है।	06-03-2017
मकान नं. 145, ब्लॉक एफ, सैक्टर अल्फा-2, ग्रेटर नोएडा, (यू.पी). क्षेत्रफल 60 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्रीमती ईरा रस्तोगी के नाम पर है।	06-03-2017

दिनांक : 10.03.2017,
स्थान : नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुड़गाँव और माउंट आबू

प्राधिकृत अधिकारी,
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स